फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर

कौशल्या
बनाम
दमदान वगै.

किस्म मुकदमा 225 आर.टी एक्ट न. 51 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.08.2021	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री हुकमसिंह चौधरी एवं केवियटर अधिवक्ता श्री कानसिंह भाटी उपस्थित। अपील राजस्थान काश्तकारी एक्ट 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 58/2021 बअनवान कौशलया बनाम दमदान वगै. में पारित आदेश दिनांक 04.08.2021 के विरूद्ध पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी अपीलांट की पैतृक संपति है। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेष दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि के सुस्थिापित सिद्धांतों के विपरित होने विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेंट द्वारा काश्त करने में दखल पैदा की जा रही है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति हो रही है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण का स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेष किये:– DNJ 2021(1) Page 545 RRT 2013(1) Page 515 RLW 2014(2) Page 1561 RRT 2013(1) Page 49 केवियटर अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी पैतृक संपति नहीं है। रेस्पोडेंट की स्वः अर्जित संपति है। फॉर्म नं. 03 के संलग्न दस्तावेजात पेश किये शामिल मिसल हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने, पत्रावली का अवलोकन करने एवं न्यायिक दृष्टांत का गहनता से अध्ययन करने पर	

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पाया कि हस्तगत आवेदन में वर्णित आराजी पैतृक है या स्व अर्जित इसका निर्धारण अपीलांट की अपील, अपील पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं केवियटर अधिवक्ता द्वारा फॉर्म नं. 03 के सलंग्न दस्तावेजात से स्पष्ट हो रहा है कि अपीलाधीन आराजी पैतृक नहीं होकर दमदान की स्व अर्जित सम्पति है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है इसलिए उक्त आदेश हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपीलांट की अपील को खारिज करना उचित प्रतीत होता है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर